सं 12012/20/2007-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 7 जनवरी, 2015

सेवा में,

सीएमडी/एमडीज

आरसीएफ/एमएफएल/बीवीएफसीएल/एनएलएल/कृभको/इफ्को/जीएसएफसी/जीएनवीएफसी/स्पिक/एनएफसीएल/सीएफसीएल/टाटा/जेडएसीएल/इंडोगल्फ/स्पिक/केएसएफएल/एमएफसीएल।

विषय: <u>देश में संपुष्ट एवं विलेपित यूरिया के उत्पादन एवं उपलब्धता को प्रोत्साहित करने हेतु नीति।</u>

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर उर्वरक विभाग के दिनांक 2 जून 2008 और 11 जनवरी 2011 के समसंख्यक पत्रों का उल्लेख करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने नीम विलेपित यूरिया का उत्पादन करने के लिए सीमा/प्रतिबंध हटाने का अनुमोदन किया है। इस प्रकार, यूरिया के स्वदेशी उत्पादकों को राजसहायता प्राप्त यूरिया के कुल उत्पादन के अधिकतम तक नीम विलेपित यूरिया के उत्पादन की अनुमति दी गई है जिसे उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इसके अलावा नीम विलेपित यूरिया पर कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त 5% एमआरपी को भविष्य में केवल यूरिया के विद्यमान एमआरपी अर्थात् 5360 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है।

2. दिनांक 2 जून 2008 के नीति पत्र के अन्य निबन्धन एवं शर्तें समान रहेंगी। यह आदेश जारी होने की तारीख से लागू होगा।

भवदीय

(विजय रंजन सिंह)
निदेशक (उर्वरक)
दूरभाष:-23386398

1. सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. व्यय विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक मामले विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय योजना आयोग।
3. एनआईसी को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।